

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०क०लि०-09/2017
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 4.70 करोड़ (चार करोड़ सत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष राशि 2.70 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं०-3921 दिनांक-29.12.2017 के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 4.70 करोड़ (चार करोड़ सत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के त्वरित गति से कार्यान्वयन हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के द्वारा शेष राशि 2.70 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में एक अदद 33/11 के०वी० 2X5 एम०भी०ए० का नया शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 4.70 करोड़ (चार करोड़ सत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष राशि 2.70 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, माँग सं०-10, विपत्र कोड-10-4801057890102 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

U

5

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-09/2017 के पृष्ठ संख्या-02/टि० पर दिनांक-22.12.2017 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-09/2017 के पृष्ठ संख्या-09/टि० पर दिनांक-19.09.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-09/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-09/2017 2571

/पटना, दिनांक-25/09/2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।